

बिहार सरकार
पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग

ज्ञापांक-पि0व0 / गै0यो0-45-3 / 2014- 14,

पटना, दिनांक- 21/02/18

सेवा में,

महालेखाकार, बिहार,
वीरचंद पटेल मार्ग, पटना।

विषय:- वित्तीय वर्ष 2017-18 में जननायक कर्पूरी ठाकुर अत्यन्त पिछड़ा वर्ग कल्याण छात्रावासों के संचालन हेतु राज्य योजना के तहत कार्यालय व्यय तथा सामग्री एवं पूर्तियाँ मद में कुल रू0 50,10,068/- (रूपये पचास लाख दस हजार अड़सठ) मात्र की निकासी की स्वीकृति।

आदेश:- स्वीकृत।

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि वित्तीय वर्ष 2017-18 में जननायक कर्पूरी ठाकुर अत्यन्त पिछड़ा वर्ग कल्याण छात्रावास योजना के लिए राज्य योजना के तहत नवनिर्मित जननायक कर्पूरी ठाकुर अत्यन्त पिछड़ा वर्ग कल्याण छात्रावासों के संचालन हेतु कार्यालय व्यय मद में रू0 1,00,00,000/- (रूपये एक करोड़) और सामग्री एवं पूर्तियाँ मद में रू0 4,00,00,000/- (चार करोड़ रू0) मात्र का योजना उद्व्यय एवं बजट उपबंध किया गया है। तदनुसार जिला कल्याण पदाधिकारी, गया, नालंदा शेखपुरा, मधुबनी एवं मुंगेर जिला को कार्यालय व्यय मद में रू0 42,94,000/- (रू0 बयालीस लाख चौरानवे हजार) मात्र तथा सामग्री एवं पूर्तियाँ मद में जिला कल्याण पदाधिकारी, गया एवं मुंगेर को रू 716,068 /- (रू0 सात लाख सोलह हजार अड़सठ) मात्र कुल रू0 50,10,068/- (रू0 पचास लाख दस हजार अड़सठ) मात्र का संलग्न विवरणी के अनुसार निकासी एवं व्यय की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

2- उक्त स्वीकृत राशि का व्यय भार वर्तमान वित्तीय वर्ष 2017-18 में राज्य योजनान्तर्गत मांग संख्या-11 के अंतर्गत आय-व्ययक शीर्ष "4225-अनुसूचित जातियाँ, अनुसूचित जनजातियाँ तथा अन्य पिछड़े वर्गों के कल्याण पर पूँजीगत परिव्यय-03-पिछड़े वर्गों का कल्याण-277- शिक्षा-0101-आवासीय विद्यालय एवं छात्रावास भवनों का निर्माण एवं जीर्णोद्धार विषयशीर्ष क्रमशः 1301 कार्यालय व्यय तथा 2101 सामग्री एवं पूर्तियाँ जिराका विपत्र कोड संख्या-11 4225032770101 के अंतर्गत विकलनाय होगा।


3- इस राशि के लिए निकासी एवं व्यय पदाधिकारी संबंधित जिला के जिला कल्याण पदाधिकारी होंगे। निकासी की नयी राशि का व्यय विवरणी एवं उपयोगिता प्रमाण-पत्र वित्तीय वर्ष समाप्ति के बाद तत्काल विभाग को भेजा जाय। इस राशि की निकासी वित्त विभाग के पत्रांक-2561 दिनांक-17.04.98 तथा पत्रांक-2218 दिनांक-16.03.02 तथा समय-समय पर वित्त विभाग/राज्य सरकार द्वारा निर्गत अन्य परिपत्रों में निहित निदेशों के आलोक में करेंगे। संबंधित उप निदेशक (कल्याण) इसके अधिकारी होंगे।

राशि की निकासी उतनी ही की जाय जिसका वास्तविक व्यय दिनांक-31.03.2018 तक हो सके एवं व्यय की संभावना नहीं होने पर अतिरिक्त राशि वित्तीय वर्ष समाप्ति के पूर्व प्रत्यर्पित कर दिया जाय।

4- अंकेक्षण एवं लेखा विभाग के पदाधिकारियों को सुविधा के अनुसार लेखा का अंकेक्षण एवं परीक्षण का अधिकार होगा।

5- प्रस्ताव एवं प्रारूप पर आन्तरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति प्राप्त है।

बिहार राज्यपाल के आदेश पर


20.2.18

(प्रेम सिंह मीणा)
सरकार के सचिव।

(P.T.O.)

ज्ञापांक-पि०व०/गै०यो०-45-3/2014- 14

पटना, दिनांक- 21/02/18

प्रतिलिपि-कोषागार पदाधिकार/उप कोषागार पदाधिकारी, गया, नालंदा, शेखपुरा, मधुबनी एवं मुंगेर/संबंधित उप निदेशक (कल्याण)/जिला कल्याण पदाधिकारी, गया, नालंदा, शेखपुरा, मधुबनी एवं मुंगेर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।



सरकार के सचिव।

ज्ञापांक-पि०व०/गै०यो०-45-3/2014- 14

पटना, दिनांक- 21/02/18

प्रतिलिपि-वित्त विभाग (बजट शाखा)/योजना एवं विकास विभाग/प्रमण्डलीय आयुक्त, मगध, दरभंगा एवं मुंगेर/जिला पदाधिकारी, गया, नालंदा, शेखपुरा, मधुबनी एवं मुंगेर/संबंधित छात्रावास अधीक्षक को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।




सरकार के सचिव।

ज्ञापांक-पि०व०/गै०यो०-45-3/2014- 14

पटना, दिनांक- 21/02/18

प्रतिलिपि-अवर सचिव (बजट प्रभारी)/आई०टी० मैनेजर, पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।



सरकार के सचिव।

विवरणी


वित्तीय वर्ष 2017-18 में राज्य योजना के अन्तर्गत जननायक कर्पूरी टाकुर अत्यन्त पिछड़ा वर्ग कल्याण छात्रावास गया, नालंदा, शेखपुरा, मधुबनी एवं मुंगेर के संचालनार्थ स्वीकृत/अवंटित राशि की विवरणी--

क्रम सं०	जिला का नाम	मद/विषय शीर्ष		कुल योग
		सामग्री एवं पूर्तियाँ (21.01)	कार्यालय व्यय (13.01)	
1	गया	6,39,754 /-	1,30,000 /-	7,69,754 /-
2	नालंदा	-	6,25,000 /-	6,25,000 /-
3	शेखपुरा	-	4,54,000 /-	4,54,000 /-
4	मधुबनी	-	7,20,000 /-	7,20,000 /-
5	मुंगेर	76,314 /-	23,65,000 /-	24,41,314 /-
	कुल योग	7,16,068 /-	42,94,000 /-	50,10,068 /-

कुल-(रु० पचास लाख, दस हजार अडसठ) मात्र।

पत्रांक :- 14

दिनांक :- 21/02/18


सरकार के सचिव।